न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 09 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 19.11.2020

जरिये मुनेश कुमार मीणा,प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0 माहेश्वरी दूध डेयरी देवली जिला टोंक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस,एक रबर पाईप मय नोजल एंव एक भट्टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक **26.12.2022**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व मे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दिनांक 30.10.2020 को समय 12.10 पीएम पर प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह श्री रमन यादव देवली टोंक में स्थित मै. माहेश्वरी दूध डेयरी, देवली, टोंक के व्यवसायी परिसर पर आकस्मिक जाँच हेतु मौके पर पहुँचें। मौके पर श्री ओमप्रकाश गुप्ता पाये गये जिन्होने स्वयं को मै. माहेश्वरी दूध डेयरी. देवली, टोंक का प्रोपराईटर बताया। मौके पर व्यवसाय परिसर स्थल की तलाशी लेने पर घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानक भार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 4 घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप, रेगुलेटर के माध्यम से लोहे की भट्टी मय नोजल में जोड़कर अवैध रूप से दूध के पदार्थ बनाने में ईंधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। जिसका विवरण निम्नानुसार है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 17:00:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा कि0ग्रा0 में)

क्र0स0	एस0आर0 नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	532967	भारत गैस	14.2	15.5	29.770	14.27
2	381152	भारत गैस	14.2	16.0	16.00	0
3	60888	भारत गैस	14.2	15.6	29.800	14.2
4	815965	भारत गैस	14.2	15.7	26.800	11.1

उक्त जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 39.57 KG एलपीजी गैस रबर पाईप, रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल जब्त किया गया। व्यवसायी ने उक्त कृत्त कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 39.57 KG एलपीजी गैस पाईप मय रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि प्रार्थी के यहाँ से डेयरी प्रोडक्ट के सेम्पल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये थे। उक्त सेम्पल केन्द्रीय प्रयोगशाला मे दौराने जॉच दिनांक 05.11.2020 को लेबोट्री द्वारा जॉच रिपोर्ट मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व 2011 के अन्तर्गत शुद्ध स्तर के पाये गये थे। जिला रसद अधिकारी के कार्यालय द्वारा प्रार्थी के संस्थान से 3 घरेलू सिलेण्डर जप्त किये थे, जो अभी भी जप्तशुदा है,उक्त सिलेण्डर प्रार्थी के संस्थान पर रिफिलिंग कराने हेतु रखे हुये थे,उक्त तीनों सिलेण्डर प्रार्थी का स्वंय का एवं छोटे भाई बालमुकुन्द गुप्ता का एवं तीसरा सिलेण्डर श्रीमति नीतू पनवाड़ का भारत गैस का पंजीयन घरेलू सिलेण्डर है, जो भारत गैस कम्पनी के वितरक द्वारा आंवटित किया हुआ है। प्रार्थी का संस्थान एवं घर पास–पास ही है। सुविधा की दृष्टि से रिफिलिंग हेतु परिवार के सदस्य के सिलेण्डर वहाँ रखे हुये थे। प्रार्थी के संस्थान के व्यवसाय उपयोग व उपभोग हेतु दौराने जॉच व्यवसायिक उपयोग हेतु व्यवसायिक सिलेण्डर से भी, अपने संस्थान मे ही उपयोग व उपभोग मे लेता है। जप्त शुदा तीनों सिलेण्डर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत है, जिनकी पंजीयन पास बुक की प्रति प्रार्थी पेश कर रहा है। प्रार्थी के यहाँ से जप्त किये गये सिलेण्डर घरेलू सिलेण्डर है [illegible] उपयोग में काम आते है। उक्त जप्तशुदा सिलेण्डर प्रार्थी [illegible] प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 17:00:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

करने के अधिकारी है,उक्त घरेलू सिलेण्डर के अभाव मे उक्त सभी उपभोक्ता अपने रसोई एवं घरेलू कार्य के उपयोग व उपभोग से वंचित हो रहे है एवं असुविधा हो रही है। प्रार्थी के विरुद्ध जेरेकार कार्यवाही धारा 6 (A) आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त कर प्रार्थी को दोषमुक्त किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः जब्तशुदा गैस सिलेण्डरो को वापस दिलवाये जाना न्याय संगत है।

प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व मे ''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान के तहत दिनांक 30.10.2020 को समय 12.10 पीएम पर प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह श्री रमन यादव देवली, टोंक में स्थित मै. माहेश्वरी दूध डेयरी, देवली, टोंक के व्यवसायी परिसर पर आकस्मिक जॉच हेतु मौके पर पहुॅचें। मौके पर श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री घनश्याम उपस्थित पाये गये जिन्होने स्वयं को मै. माहेश्वरी दूध डेयरी. देवली, टोंक का प्रोपराईटर बताया। मौके पर व्यवसाय परिसर स्थल की तलाशी लेने पर घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानक भार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 4 घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप, रेगुलेटर के माध्यम से लोहे की भट्टी मय नोजल में जोड़कर अवैध रूप से दूध के पदार्थ बनाने में ईंधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त चारों सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।उक्त जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 39.57 KG एलपीजी गैस रबर पाईप, रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सम्भालकर रखने हेतु टोंक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री चेतन प्रकाश मोहन गैस एजेन्सी देवली को सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्त कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 39.57 KG एलपीजी गैस पाईप मय रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि जवाब को ही बहस माना जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 17:00:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस/जवाब पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 30.10.2020 के अनुसार मै. मोहेश्वरी दूध डेयरी देवली टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहे उक्त 4 सिलेण्डर मय रेगुलेटर पाईप,रबर पाईप व गैस भट्टी सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा कि0ग्रा0 में)

क्र0स0	एस0आर0 नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	532967	भारत गैस	14.2	15.5	29.770	14.27
2	381152	भारत गैस	14.2	16.0	16.00	0
3	60888	भारत गैस	14.2	15.6	29.800	14.2
4	815965	भारत गैस	14.2	15.7	26.800	11.1

जांच करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर चौथमल गुर्जर,हंसराज गुर्जर तथा पंकज शर्मा के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी पकंज,चौथमल व हंसराज गुर्जर के हस्ताक्षर है। गैस एजेन्सी देवली के प्रतिनिधि पकंज शर्मा को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व खाद्य सामग्री बनाने के कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 4 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 39.57 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 17:00:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)